प्रकरण संख्या 8/2024 कन्ना बनाम रोडा व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.12.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गांव करमठों का ढाणा, तहसील नाथद्वारा में खाता संख्या 5 की आराजी नंबर 19, 27, 33, 57, 62, 63, 80, 133, 134 कुल किता 9 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा भूमि स्थित है, जो पैत्रृक सम्पत्ति होकर पिता से विरासत से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई है, जिसका विभाजन नहीं हुआ है एवं भूमि संयुक्त खाते में दर्ज है। अतः विवादित आराजियात का पक्षकारान के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे तथा उन्हें प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने राजीनामे के आधार पर प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर दिनांक 11.06.2016 को वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 24.06.2017 (06.07.2017) को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जो न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 14.10.2022 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दी गयी, जो अपीलान्ट के आवेदन पर पुनः दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिवक्ता अपीलान्ट श्री अशोक वैष्णव एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को वक्त बहस दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण ने पारिवारिक समझौते के तहत हुए विभाजन के विपरीत राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर विभाजन करवा लिया है, जो विधि विरूद्ध है। अपीलान्ट को विभाजन में रोड़ की तरफ की भूमि मिली थी, जिस पर वह काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है, किन्तु वर्तमान में उसकी कीमत बढ़ जाने से वादीगण/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 उसे लेने का प्रयास कर रहे हैं। बिना की राजीनामे व सहमति के उक्त निर्णय किया गया है। विभाजन प्रस्ताव अपीलान्ट की अनुपस्थिति में बनाया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर जारी अंतिम डिक्री त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.19 12:52:39 IST
Reason: SelfAttested

अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। विभाजन प्रस्ताव पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर नहीं हैं तथा विभाजन में अपीलान्ट कन्ना के खाते में कम भूमि रखी गयी है, जिससे विभाजन मीट्स एण्ड बाउण्ड्स किया जाना प्रकट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में उक्त विभाजन प्रस्ताव के आधार जारी अंतिम डिक्री भी त्रुटि पूर्ण हो जाती है। प्रकरण में यह भी तथ्य सामने आया है कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका अनुसार अंतिम डिक्री दिनांक 24.06.2017 को जारी की गयी तथा डिक्री में भी निर्णय दिनांक 24.06.2017 ही अंकित है, लेकिन उसे जारी करने की दिनांक 06.07.2017 अंकित है, जो सहवन से की गयी त्रुटि प्रकट होती है, किन्तु अंतिम डिक्री जारी करने में विभाजन नियम 18 से 21 की पालना की जाना प्रथम दृष्टया प्रकट नहीं होता है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी अंतिम डिक्री त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 208/2015 में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 24.06.2017 (06.07.2017) अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्ट की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर तथा उन्हें सुनकर विभाजन नियम 18 से 21 की पालना करते हुए अंतिम डिक्री पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 10.02.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 12.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.19 12:52:39 IST
Reason: SelfAttested